APP
Ctl

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालम कलेक्टर मुकाम बसवा

रघुवीर बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा LR Act 128 नं. 16 सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24/5/24 पत्रावली [illegible] कार्य स्थगन/ [illegible] व्यस्त होने से [illegible] गई गत आदेश [illegible] में दिनांक 5/6/24 को पेश हो। [signature] हस्ताक्षर रीडर	
	5/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. रा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 1/8/24 को पेश हो। [signature] हस्ताक्षर रीडर	
	1/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. रा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 29/8/24 को पेश हो। [signature] हस्ताक्षर रीडर	
29/8/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु का. ता. 4-09-24 को पेश हो पत्रावली निर्णय हेतु 4-9-24 को पेश हो [signature]	
4/9/24	पत्रावली पेश हुई, निर्णय पृथक से लिखा गया, जो शामिल [illegible] मिसल इन्द्राज होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:53:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा

जिला–दौसा

प्रकरण संख्या विविध 16/2023
प्रकरण रज्जु दिनांक : 11.5.2023
निर्णय दिनांक :– 4.9.2024

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान

1. रघुवीर पुत्र रामकिशोर
2. रामजीलाल पुत्र छोटेलाल

समस्त जाति ब्राहमण निवासी सबडावली तहसील बसवा जिला–दौसा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला–दौसा

(अप्रार्थी)

उपखण्ड कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा, (दौसा) राज.

–: निर्णय :–

दिनांक :– 4.9.2024

उपस्थिति :–1. प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट
श्री श्यामसुन्दर शर्मा एवं
दीपांशा सक्सैना

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128, एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी किये जाने हेतु पेश किया है कि वाके ग्राम सबडावली तहसील बसवा जिला दौसा के खाता संख्या नया 135 पुराना 132 खसरा नंबर 160, खाता संख्या नया 76 पुराना 70 आराजी खसरा नंबर 144, 145, 146 एवम् खाता संख्या नया 78 पुराना 71 खसरा नंबर 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 270 भूमि वाकै ग्राम सबडावली में स्थित है, इस भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 10.6.2022 को किया जा चुका है, तदोपरांत भी पडोसी खातेदारान से सीमा विवाद होने का आये दिन प्रार्थीगण को अंदेशा रहता है, इसलिए सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 10.6.2022 के अनुसार उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी व तारबंदी करवाना चाहता है । लिहाजा आदेश फरमाये जावें ।

प्रा.पत्र वास्ते पत्थरगढी प्राप्त होने पर, न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये ।

प्रकरण के साथ प्रस्तुत प्रश्नगत भूमि की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 10.6.2022 का अवलोकन किया गया । उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवार हलका झाझीरामपुरा द्वारा अंकन किया गया है कि "आज दिनांक 10.6.2022 को श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश कमांक भू.अ./2022/7068 दिनांक 30.5.2022 की पालना में ग्राम सबडावली में आराजी खसरा नंबर 144/0.62, 145/0.11, 146/[illegible], 147/0.75, 148/0.17, 149/0.14, 150/0.28, 151/0.14, 152/0.10, 153/0.08, 154/0.11, 155/0.10, 156/0.40, 157/0.30, 158/0.34, 159/0.25, 270/0.75, 160/0.09 किता 18 रकबा 5.21 हैक्टयर का सीमाज्ञान करने मय राजस्व रिकोर्ड के भू.अ.निरीक्षक बसवा व पटवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:58:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

हलका बसवा सी, पटवार हलका बडियाल कला व पटवारी हलका झाझीरामपुरा मौके पर उपस्थित होकर उक्त खसरा नंबरान का मुस्तकिल बिन्दु 120 गै.मु.चाह व सीमा चिन्ह 79 एवं खसरा नंबर 159 का उत्तरी पश्चिमी कौना एवं खसरा नंबर 161/108 का उत्तरी पूर्वी कौना की मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए तथा खसरा नंबर 108 गै.मु.चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए खसरा नंबर 168/1084 का पूर्वी दक्षिणी कौना की मुस्तकिल मानते हुए आराजी खसरा नंबर 144/0.62, 145/0.11, 146/0.48, 147/0.15, 148/0.17, 149/0.14, 150/0.28, 151/0.10, 153/0.08, 154/0.11, 155/0.10, 156/0.40, 157/0.30, 158/0.34, 159/0.25, 270/0.75, 160/0.09 हैक्टयर किता 18 रकबा 5.21 हैक्टयर का सीमाज्ञान करके, निशानात लगाये गये ।''

प्रकरण में बहस सुनी गई । तथापि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन किया गया । बाद पत्रावली अवलोकन एवं मनन के हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थीगण द्वारा जिस आराजी की पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रा.पत्र पेश किया है उसमें से यदि भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं तो प्रार्थी को सीमा विवाद से सुरक्षा प्राप्त होगी । ऐसी दशा में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की आराजी ग्राम सबडावली पटवार हलका झाझीरामपुरा तहसील बसवा जिला–दौसा में आराजी खसरा नंबर 144/0.62, 145/0.11, 146/0.48, 147/0.15, 148/0.17, 149/0.14, 150/0.28, 151/0.10, 153/0.08, 154/0.11, 155/0.10, 156/0.40, 157/0.30, 158/0.34, 159/0.25, 270/0.75, 160/0.09 हैक्टयर किता 18 रकबा 5.21 हैक्टयर भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी, बसवा
जिला–दौसा

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 12:58:24 IST
Reason: SelfAttested